भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3221

21 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"डीसीएएआई के अंतर्गत परियोजनाएं"

3221. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद (डीसीएएआई) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और अध्ययन परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए नए विभिन्न कार्यों/उपायों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका मूल्य क्या है और इस संबंध में सरकार की भविष्य में क्या योजनाएं बनने का विचार है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख) : ऑटोमोबिल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद् (डीसीएएआई) क्षेत्र की वृद्धि संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। डीसीएएआई स्कीम का उद्देश्य ऐसे क्रियाकलापों के लिए भारतीय इकाइयों को सहायता प्रदान करना है जो ऑटो और कृषिगत ट्रैक्टर क्षेत्र संबंधी किसी भी अन्य सरकारी स्कीम के दायरे में नहीं आते,यथा-

क. नवाचार
ख. अनुसंधान और विकास
ग. प्रोटोटाइप विकास
घ. प्रौद्योगिकी विकास
ङ. प्रौद्योगिकी सह-विकास
च. प्रौद्योगिकी/आईपीआर अधिग्रहण
छ. वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां
ज. कौशल विकास
झ. विपणन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय सेवा संबंधी निर्यात संवर्धन परियोजनाएं
ट. ट्रैक्टर और ऑटो क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए आवश्यक अन्य क्रियाकलाप

भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 जनवरी,2022 को "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि" नामक स्कीम का चरण-।। प्रारंभ किया है जिसका बजटीय परिव्यय 975 करोड़ रूपए है। स्कीम का उद्देश्य पूंजीगत वस्तु और विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता का संवर्धन करना है।

ऑटो उद्योग विनिर्माण क्षेत्र के दायरे में आता है और डीसीएएआई के अंतर्गत किए जा रहे प्रमुख क्रियाकलाप पूंजीगत वस्तु क्षेत्र स्कीम के चरण-।। के अनुरुप होंगे। दोनों ही स्कीमों के उद्देश्य अतिच्छादित हो रहे हैं और इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय ने ऑटो क्षेत्र के लिए भी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र स्कीम के चरण-।। को जारी रखने का निर्णय लिया है।

***